संख्या-972/2018/1825/22-2-2018-17(393)/2018

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 दिसम्बर, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शमीम पुत्र श्री मो0 सद्दीक उर्फ सद्दा, निवासी जनपद-फतेहपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31595/प्रोबे0-5-दया0 **(**दिनांक 07.08.2018**)** दिनांक 06-09-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी शमीम पुत्र श्री मो0 सद्दीक उर्फ सद्दा, जो कला मोहम्मदपुर, थाना-थरियांव, जनपद-फतेहपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा बदले की भावना के कारण दिनांक 07.08.2006 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-771/2006 में भा0द0वि0 की धारा- 302 व 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0-02, फतेहपुर के आदेश दिनांक 12.06.2009 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया । बन्दी द्वारा दिनांक 17.07.2018 तक 11 वर्ष 11 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 14 वर्ष 11 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी द्वारा किया गया अपराध गम्भीर कोटि में होने**,** भविष्य में अपराध करने का अवसर होने**,** समयपूर्व रिहाई हेतु प्रयोजन ठीक न होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। समिति द्वारा बंदी की आयु**,** काटी गयी सजा एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी शमीम (बन्दी संख्या-87/2012) पुत्र श्री मो0 सद्दीक उर्फ सद्दा, निवासी जनपद-फतेहपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-972/2018/1825(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in